

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 29 सितम्बर , 2009

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर/एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2(वि० नु०शा०/अपील)/

ज्वाइंट कमिशनर(कार्यपालक / वि० नु०शा०/अपील/उ०न्या०कार्य/सर्वो०न्या०कार्य)

डिप्टी कमिशनर /असिस्टेन्ट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी ,

वाणिज्य कर उ०प्र० ।

विषय:- 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन पाये जाने पर माल के अभिग्रहण के संबंध में

Key word 1-24-EVISION / TAX EVISION

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं० चे०पो०-25क-परिपत्र अवमूल्यन/2009/0910027/वाणिज्य कर दिनांक 29.06.09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं० 497/9 दि०-1-09-1(क)7-2009 दिनांक 28.2.09 से मूल अधिनियम की धारा 48 में किये गये संशोधनों से अवगत कराते हुए इन संशोधित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन किये जाने वाले माल से संबंधित बिलों में अथवा गोदाम / व्यापार स्थल पर रखे माल के वास्तविक मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का अवमूल्यन पाये जाने पर विधि अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं ।

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि कुछ प्रवर्तन इकाईयो द्वारा विधिक प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही न करके 50 प्रतिशत से कम अवमूल्यन होने पर भी माल का अभिग्रहण कर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है । यह स्थिति कदापि उचित नहीं है । अतः निदेश दिये जाते हैं कि है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक अवमूल्यन पाये जाने पर ही अभिग्रहण आदि की कार्यवाही की जाय । 50 प्रतिशत से कम अवमूल्यन पाये जाने पर कोई माल न रोका जाय ।

ह०/

(अनिल संत)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

पृ०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० लखनऊ ।
3. समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र० ।
4. संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
5. समस्त अनुभाग / अधिकारी वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।
6. चेकपोस्ट अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियां अतिरिक्त ।

ह०/

(आर०एस० गंगवार)

ज्वाइंट कमिशनर (चेकपोस्ट) वाणिज्य कर

मुख्यालय, लखनऊ ।